स्पीड पोस्ट

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110011 (भारत)
NEW DELHI – 110011 (INDIA
TEL.: 011-23016344

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/68/2023-2024 **7 दिसम्बर, 2023**

सेवा में,

श्री मुकेश पाराशर
पुत्र स्व. श्री राजन लाल
मकान न. 83, ग्राम फतेहपुरा
थाना-बलदेव, तहसील-महावन,
जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 21.11.2023 का आरटीआई आवेदन इस सचिवालय में दिनांक 29.11.2023 को प्राप्त हुआ है। जिसके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 61एफ़ 969728 संलग्न कर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

आप के आवेदन की जानकारी निम्नलिखित है।

1. इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि बिन्दु संख्या 2 दिनांक 29.10.2023 का आवेदन दिनांक 03.11.2023 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ था। जो कि **इस सचिवालय से संबन्धित नहीं था**, तत्पश्चात आप के आवेदन को दिनांक 28.11.2023 को श्रीयुत जिलाधिकारी, मथुरा को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप श्रीयुत जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस लाइन, मथुरा कैट, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001 के कार्यालय से संपर्क करें।
2. बिन्दु संख्या 1,3,4,5,6, एवं 7 के आवेदन जिलाधिकारी से संबन्धित थे, इसलिए उन सभी आवेदनों पर को कार्रवाई नहीं की गई और उन आवेदनो को फ़ाइल कर दिया गया है।
3. बिन्दु संख्या 8 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी अधिकारी है।
4. बिन्दु संख्या 10,11 एवं 12 के लिए आप श्रीयुत जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस लाइन, मथुरा कैट, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001 के कार्यालय से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
उप- सचिव/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

RAJESH KUMAR SHARMA
उप सचिव
DEPUTY SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2023-प्रशासन **28 नवम्बर, 2023**

श्रीयुत जिलाधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय
पुलिस लाइन, मथुरा कैंट,
मथुरा उत्तर प्रदेश-281001

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री मुकेश पाराशर पुत्र स्व. श्री राजन लाल, निवासी मकान न. 83 ग्राम फतेहपुरा थाना-बलदेव तहसील महावन, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश के दिनांक 29.10.2023 का पत्र इस सचिवालय मे दिनांक 03.11.2023 को प्राप्त हुऐ हैं।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,
ह॰/-
(राजेश कुमार शर्मा)

प्रति सूचनार्थ :- श्री मुकेश पाराशर पुत्र स्व. श्री राजन लाल, निवासी मकान न. 83 ग्राम फतेहपुरा थाना-बलदेव तहसील महावन, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्यवाही हेतु उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

राजेश
(राजेश कुमार शर्मा)

स्पीड पोस्ट

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA

नई दिल्ली -110011 (भारत)

NEW DELHI – 110011 (INDIA

TEL.: 011-23016344

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/68/2023-2024 **7 दिसम्बर, 2023**

सेवा में,

श्री मुकेश पाराशर
पुत्र स्व. श्री राजन लाल
मकान न. 83, ग्राम फतेहपुरा
थाना-बलदेव, तहसील-महावन,
जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 21.11.2023 का आरटीआई आवेदन इस सचिवालय में दिनांक 29.11.2023 को प्राप्त हुआ है। जिसके साथ दस रूपये का पो.आ.सं. 61एफ़ 969728 संलग्न कर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

आप के आवेदन की जानकारी निम्नलिखित है।

1. इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि बिन्दु संख्या 2 दिनांक 29.10.2023 का आवेदन दिनांक 03.11.2023 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ था। जो कि **इस सचिवालय से संबन्धित नहीं था**, तत्पश्चात आप के आवेदन को दिनांक 28.11.2023 को श्रीयुत जिलाधिकारी, मथुरा को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप श्रीयुत जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस लाइन, मथुरा कैट, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001 के कार्यालय से संपर्क करें।
2. बिन्दु संख्या 1,3,4,5,6, एवं 7 के आवेदन जिलाधिकारी से संबन्धित थे, इसलिए उन सभी आवेदनों पर को कार्रवाई नहीं की गई और उन आवेदनो को फ़ाइल कर दिया गया है।
3. बिन्दु संख्या 8 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी अधिकारी है।
4. बिन्दु संख्या 10,11 एवं 12 के लिए आप श्रीयुत जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस लाइन, मथुरा कैट, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001 के कार्यालय से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
उप- सचिव/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

दस टका दश टाका दस रुपिया ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ पत्तु रूपा दहा रुपये दस रुपए दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO CPIO उप राष्ट्रपति
कार्यालय, ...

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्टमास्टर POSTMASTER

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

61F 939728

RAJESH KUMAR SHARMA
उप सचिव
DEPUTY SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2023-प्रशासन **28 नवम्बर, 2023**

श्रीयुत जिलाधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय
पुलिस लाइन, मथुरा कैंट,
मथुरा उत्तर प्रदेश-281001

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री मुकेश पाराशर पुत्र स्व. श्री राजन लाल, निवासी मकान न. 83 ग्राम फतेहपुरा थाना-बलदेव तहसील महावन, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश के दिनांक 29.10.2023 का पत्र इस सचिवालय मे दिनांक 03.11.2023 को प्राप्त हुऐ हैं।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,

ह॰/-

(राजेश कुमार शर्मा)

प्रति सूचनार्थ :- श्री मुकेश पाराशर पुत्र स्व. श्री राजन लाल, निवासी मकान न. 83 ग्राम फतेहपुरा थाना-बलदेव तहसील महावन, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्यवाही हेतु उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)

RTI No. 68

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6. (1) के अंतर्गत प्रथम आवेदन

परम आदरणीय भगवान समान श्रद्वेय श्री जन सूचना अधिकारी महोदय
आदरणीय उप राष्ट्रपति महोदय, ~~कार्या~~
6 मौलाना आजाद रोड, भारत सरकार नई दिल्ली 110011

आवेदक का पूरा नाम एवं पता मुकेश चन्द पाराशर सुपुत्र स्व. श्री राजन लाल निवासी मकान नं. 83, ग्राम फतेहपुरा थाना बलदेव तहसील महावन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश –281305 मो. नं. 9719509622

सूचना की प्रवृत्तिः–प्रार्थी द्वारा आपके कार्यालय में भारतीय डाक विभाग के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से भिन्न–भिन्न कुल सात प्रार्थना पत्र न्याय चाहने हेतु प्रस्तुत किये गये थे उनके विषय में सूचना देकर कृताक करें। प्रार्थना पत्रो की प्रति संलग्न है।

Vice President's Secretariat, New Delhi
Dy. No. 333
Date 29/11/23

यह है कि प्रार्थी ने आपके श्री चरणो में दिनांक 30.10.2023 के प्रार्थना पत्र को भारतीय पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई चाहने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया प्रदर्श–1 है तथा अब मेरा प्रार्थना पत्र कहां रूका हुआ है सूचना देकर कृतार्थ करे।

2. यह है कि प्रार्थी ने आपके श्री चरणो में दिनांक 29.10.2023 के प्रार्थना पत्र को भारतीय पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से विषय मृत पिता के बैंक लोन को 100 प्रतिशत चुकाने के बाद अपने स्वयं के पूर्ण हिस्से की जमीन को बेचना बना हुआ है जीवन दाह का कारण।

3. यह है कि प्रार्थी ने आपके श्री चरणो में दिनांक 01.11.2023 के प्रार्थना पत्र को भारतीय पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आदरणीय न्यायालय उप जिलाधिकारी महोदय महावन जिला मथुरा वाद संख्या T202001500501473 सन् 2020 में शीघ्र सुनवाई चाहने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया था।

29.11.23
SP

4. यह है कि प्रार्थी ने आपके श्री चरणो में दिनांक 28.10.2023 के प्रार्थना पत्र को भारतीय पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से विषय मौजा फतेहपुरा में बैनामा द्वारा बेची गई आराजी काश्त को जोतने बोने के संबंध में

5. यह है कि प्रार्थी ने आपके श्री चरणो में दिनांक 02.11.2023 के प्रार्थना पत्र को भारतीय पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से विषय आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय महावन जिला मथुरा के द्वारा प्रार्थी पक्ष के मूल

निरन्तर..........

प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2023 मौजा फतेहपुरा में बैनामा द्वारा अपने मृत पिता के बैंक लोन को 100 प्रतिशत चुकाने के लिए अपने हिस्से की जमीन बेची है।

6. यह है कि प्रार्थी ने आपके श्री चरणो में दिनांक 16.11.2023 के प्रार्थना पत्र को भारतीय पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर **IGRS** पर गलत आख्या डाली गई है।

7. यह है कि प्रार्थी ने आपके श्री चरणो में दिनांक 17.11.2023 के प्रार्थना पत्र को भारतीय पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक से आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, महावन जिला मथुरा के द्वारा विपक्षीगण के प्रभाव में आकर जान बूझकर न्याय नही करने के विरूद्व न्याय प्रार्थना।

8. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायें। मेरा आवेदन किन–किन अधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इ दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की ? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं।

9. विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनो में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिये थी ? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है ?

10. कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएं जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी ? लेकिन उन्होने कोई कार्रवाई नही की।

11. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी ? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी ?

12. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा ?

मै आवेदन फीस के रूप में 10 रू अलग से जमा कर रहा हूँ।
संलग्न : पोस्टल आर्डर नं0 61 F 939728

आवेदक के हस्ताक्षर
मुकेश पाराशर

स्थान : फतेहपुर
दिनांक : 21/11/23

RR587070862IN IVR:8282587070862 भारतीय डाक
RL,KRISHI UPAJ MANDI GANGAPUR SO 322201
Counter No:1,30/10/2023,13:52
To:JAGDEEP DHANK,VICE PRESIDENT G
PIN:110011, Nirman Bhawan SO
From:MUKESH PARA,FATEHPURA THANA
Wt:85gms,REG=17.0

पृष्ठ- 1

सेवामें,

श्रद्धेय श्री जगदीप धनखड़ जी
आदरणीय भगवान समान उप राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली

आदरणीय न्यायालय तहसीलदार महोदय, महावन जिला मथुरा
वाद संख्या **T202201500502422** सन् 2022
श्रीमती राजन देवी बनाम मुकेश चन्द
मौजा फतेहपुरा

विषयः– आपके श्री चरणों में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई चाहने बाबत प्रार्थना

1. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी मुकेश कुमार पाराशर स्वर्गीय सुपुत्र श्री राजन लाल निवासी मकान नं. 83 ग्राम फतेहपुरा थाना बलदेव तहसील महावन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश ने अपने मृत पिता के बैंक लोन को 100 प्रतिशत चुकाने के लिए बैनामा द्वारा अपने हिस्से की जमीन बेची है श्रीमती राजन देवी व पूरन सिंह निवासी ग्राम फतेहपुरा तहसील महावन जिला मथुरा को एवं उक्त मौजा में आराजी काश्त अपने मृत पिता के बैंक लोन को 100 प्रतिशत चुकाने के लिए बैनामा द्वारा अपने हिस्से की जमीन बेची है जिसका खाता नं. 53 व खसरा सं. 79 है। उक्त आराजी काश्त को सह खातेदार देवेन्द्र, श्रीमती राजन देवी जी को प्रशासनिक मिली भगत के बल पर जोतने बोने नही दे रहा है। ये विपक्षी ताकतवर किस्म का व्यक्ति है। तथा झगडालू व्यक्ति है। श्रीमती राजन देवी द्वारा उक्त आराजी काश्त को बैनामाद्वारा पूर्ण प्रतिफल देकर समक्ष गवाहान से खरीदा है। प्रार्थी ने अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि जो प्रार्थी के नाम दर्ज खतौनी रिकॉर्ड थी इस खतौनी रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि बैनामा द्वारा श्रीमती राजन देवी व पूरन सिंह जी के नाम बेची है। अब प्रार्थी के पिता भी जीवित नही है। आदरणीय इस प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की अत्यधिक आवश्यकता हैं क्योंकि सह खातेदार देवेन्द्र, श्रीमती राजन देवी जी को प्रशासनिक मिली भगत के बल पर जोतने बोने नही दे रहा हैं। ये विपक्षी ताकतवर किस्म का व्यक्ति है। तथा झगडालू व्यक्ति हैं। श्रीमती राजन देवी द्वारा उक्त आराजी काश्त को बैनामा द्वारा पूर्ण प्रतिफल देकर समक्ष गवाहान से खरीदा है। इस कारण इस पूरे प्रकरण में प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई की अत्यधिक आवश्यकता है कृपया आदरणीय प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई करवाकर न्याय प्रदान करे।

30/10/23

निरन्तर

2. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि देवेन्द्र, हरिशंकर, माधुरी सह खातेदारो इसी खाता संख्या 53 व खसरा नं. 79 में नियमित कृषि कार्य/जोत बो रहे है। जिसका **GPS Map Camera Lite** द्वारा फोटो ग्राफ्स के साथ संलग्न है नाही प्रार्थी को नाही प्रार्थी द्वारा बैंक लोन चुकाने वास्ते बैनामा द्वारा बेची गई अपने हिस्से की कृषि भूमि श्रीमती राजन देवी एवं श्री पूरण सिंह जी को प्रशासन द्वारा कृषि कार्य/जोतने बोने नही दिया जा रहा है। जो न्याय संगत नही है। कृपया आप ही न्याय करे और प्रार्थी या प्रार्थी पक्ष को जोतने या बोने दिया जाये ऐसे निर्देश प्रदान करे। या शीघ्र कुरा बंटवारा करवाएें व शीघ्र दाखिला खारिज करवाकर कृतार्थ करे इस कारण इस पूरे प्रकरण में प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई की अत्यधिक आवश्यकता है कृपया आदरणीय प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई करवाकर न्याय प्रदान करे।

3. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि जब तक सभी सह खातेदारो के मध्य माननीय उप जिला कलेक्टर महोदय महावन द्वारा कुरा बंटवारा नही किया जाता है। तब तक किसी भी सह खातेदारो द्वारा खेत में फसल/उपज ना की जावे, अगर देवेन्द्र, हरिशंकर, (आकाश, विशाल संरक्षक मॉ माधुरी) सह खातेदारो फसल/उपज करते है तो प्रार्थी को या प्रार्थी पक्ष को क्यों रोका जा रहा है खेत में फसल/उपज करने से न्याय सबके लिए समान हो ऐसी न्याय व्यवस्था करवाऐं। इस कारण पूरे प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की अत्यधिक आवश्यकता है कृपया आदरणीय प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई करवाकर न्याय प्रदान करे।

4. शपथ पूर्वक बयांन करता हूँ कि माननीय उप जिला कलेक्टर महोदय, महावन द्वारा जो भी कुरा बंटवारा किया जावेगा वह प्रार्थी को एवं प्रार्थी पक्ष श्रीमती राजन देवी तथा श्री पूरण सिंह जी को 100 प्रतिशत सुविकार होगा क्योंकि प्रार्थी कुरा बंटवारे में बेकार से बेकार अन्य उपयोगी भूमि लेने को तैयार है यही सत्य है। इस कारण इस पूरे प्रकरण में प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई की अत्यधिक आवश्यकता है कृपया आदरणीय प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई करवाकर न्याय प्रदान करे।

5. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि देवेन्द्र, हरिशंकर (आकाश, विशाल संरक्षक मॉ माधुरी) सह खातेदारो की नजर में जो भूमि सबसे ज्यादा बेकार हे वही भूमि प्रार्थी या प्रार्थी पक्ष खरीददार को कुरा बंटवारा में दिलवाई जावे जिससे की न्याय हो। इस कारण इस पूरे प्रकरण में प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई की अत्यधिक आवश्यकता है कृपया आदरणीय प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई करवाकर न्याय प्रदान करे।

निरन्तर.....

6. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा जो साईड खोलकर बैनामा,द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि बेची गई है वो मात्र और मात्र शीघ्र बैंक लोन चुकाने के कारण जल्दीबाजी में लिपिकीय त्रुटि है। अन्यथा जमीन बिकती नही और बैंक लोन जमा नही होता जबकि प्रार्थी एवं प्रार्थी पक्ष भूमि खरीददार बेकार से बेकार जमीन लेने को तैयार है कुरा बंटवारा के द्वारा। अतः आदरणीय महोदय जी न्याय प्रार्थना है कि (1) प्रार्थी को या प्रार्थी पक्ष को कृषि भूमि को जोतने बोने दिया जाये जिससे अपने हिस्से की भूमि बंजर होने से बचे। (2) अगर प्रार्थी को या प्रार्थी पक्ष को प्रशासन द्वारा जोतने बोने नही दिया जाता है तो देवेन्द्र, हरिशंकर, (आकाश, विशाल संरक्षक मॉ माधुरी) सह खातेदारो को भी जोतने बोने क्यों दिया जा रहा है, इस कारण इस पूरे प्रकरण में प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई की अत्यधिक आवश्यकता है कृपया आदरणीय प्रतिदिन शीघ्र सुनवाई करवाकर न्याय प्रदान करे। हे न्याय के दाता न्याय सबके लिए समान हो। ऐसी न्याय व्यवस्था हो।

दिनांक 30/10/2023

प्रार्थी मुकेश पारासर

मुकेश पाराशर स्वर्गीय सुपुत्र श्री राजन लाल
निवासी मकान नं. 83, ग्राम फतेहपुरा थाना
बलदेव तहसील महावन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश
मो0नं0– 9719509622

RR587070757IN IVR:8282587070757
RL KRISHI UPAJ MANDI GANGAPUR SO <322201>
Counter No:1,30/10/2023,13:56
To:SH. JAGDEEP D,DY PRESIDENT GOI
PIN:110011, Nirman Bhawan SO
From:MUKESH PARA,FATEHPUR THANA

(2)

सेवामें,

श्रद्धेय श्री जगदीप धनखड़ जी
आदरणीय भगवान समान उप राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली

आदरणीय न्यायालय तहसीलदार महोदय, महावन, मथुरा

वाद संख्या T202201500502422 सन् 2022

श्रीमती राजन देवी बनाम मुकेश चन्द

मौजा फतेहपुर

विषय- मृत पिता के बैंक लोन को 100 प्रतिशत चुकाने के बाद अपने स्वयं के पूर्ण हिस्से की जमीन को बेचना बना हुआ है जीवन दाह का कारण एवं माननीय तहसीलदार महोदय, महावन जिला मथुरा के प्रकरण में विशेष जॉच दल गठित करवाकर न्याय चाहने बावत् प्रार्थना पत्र तथा शीघ्र दाखिला खारिज करवाकर न्याय चाहने बाबत प्रार्थना।

संदर्भ:- आदरणीय तहसीलदार महोदय महावन जिला मथुरा उ0प्र0 वाद संख्या T202201500502422 सन् 2022 में दाखिला खारिज प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर आज दिनांक तक दाखिला खारिज नही हुआ है।

आदरणीय महोदय,

प्रति उत्तर/जबाव प्रार्थी मुकेश पाराशन पुत्र स्वर्गीय सुपुत्र श्री राजन लाल निवासी मकान नम्बर 83 ग्राम फतेहपुरा तहसील महावन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश दाखिला खारिज प्रार्थना पत्र आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, महावन जिला मथुरा की रिपोर्ट 11 अक्टूबर 2023 निम्न प्रकार है

1. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दाखिला खारिज प्रार्थना पत्र श्रीमती राजन देवी पत्नी पूरन सिंह स्वर्गीय सुपुत्र श्री डल्ला/लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट दिनांक.......... 100 प्रतिशत सत्य है व न्याय का प्रतीक है, न्याय हित में है, न्याय संगत है, सत्य तत्वो पर आधारित है पक्ष वाक्यात व कानूनी दायरे में है जो प्रथम दृष्टी ही स्वीकार होने योग्य है।

2. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी के पूज्य पिताजी श्री राजन लाल कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई पिता द्वारा लिये गये बैंक लोन की जानकारी प्राप्त हुई तो प्रार्थी ने अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति/विरासत कृषि भूमि थी, उस भूमि में से प्रार्थी ने अपने हिस्से/भाग की भूमि को पिता द्वारा लिये गये बैंक लोन को चुकाने के कारण अपनी कृषि भूमि का हिस्सा/भाग श्रीमती राजन देवी व इनके धर्मपति श्री पूरण सिंह को बैनामा द्वारा बेच दी। प्राप्त हुई रकम से बैंक का लोन पूर्ण रूप से चुकता कर दिया क्योंकि प्रार्थी की कृषि भूमि को बेचने का कारण केवल और केवल बैंक लोन चुकाना ही था इसलिए प्रार्थी ने कृषि भूमि बेची थी। प्रार्थी ने मृत पिता द्वारा लिये गये बैंक लोन को चुका दिया है। जमीन बेचकर।

29/10/23

निरन्तर

3. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि देवेन्द्र, हरिशंकर, माधुरी सह खातेदारो इसी खाता संख्या 53 व खसरा नं. 79 में नियमित कृषि कार्य/जोत बो रहे है। जिसका *GPS Map Camera Lite* द्वारा फोटो ग्राफ्स के साथ सलंग्न हे नाही प्रार्थी को नाही प्रार्थी द्वारा बैंक लोन चुकाने वास्ते बैनामा द्वारा बेची गई अपने हिस्से की कृषि भूमि श्रीमती राजन देवी एवं श्री पूरण सिंह जी को प्रशासन द्वारा कृषि कार्य/जोतने बोने नही दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नही है। कृपया आप ही न्याय करे और प्रार्थी या प्रार्थी पक्ष को जोतने बोने दिया जाये ऐसे निर्देश प्रदान करे। (प्रार्थी ने पूर्ण प्रतिफल लेकर अपने हिस्से की जमीन बेची हे) या दाखिला खारिज करवाकर कृपा पूर्ण निर्देश प्रदान करे।

4. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि जब तक प्रार्थी का माननीय तहसीलदार महोदय महावन द्वारा दाखिला खारिज नही किया जाता है तब तक किसी भी सह खातेदारो द्वारा खेत में फसल/उपज ना की जावे, अगर देवेन्द्र, हरिशंकर, (आकाश, विशाल संरक्षक माँ माधुरी) सह खातेदारो फसल/उपज करते है तो प्रार्थी को या प्रार्थी पक्ष को क्यों रोका जा रहा है। खेत में फसल/उपज करने से न्याय सबके लिए समान हो ऐसी न्याय व्यवस्था करवाये। या दाखिला खारिज शीघ्र करवाकर कृपा पूर्ण निर्देश प्रदान करे।

5. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि माननीय उप जिला कलेक्टर महोदय, महावन द्वारा वाद संख्या T202201500502422 सन् 2020 में जो भी कुरा बंटवारा किया जावेगा वह प्रार्थी को एवं प्रार्थी पक्ष श्रीमती राजन देवी व श्री पूरण सिंह जी को 100 प्रतिशत स्वीकार होगा क्योंकि प्रार्थी कुरा बंटवारे में बेकार से बेकार अन्य उपयोगी भूमि लेने को तैयार है यही सत्य है।

6. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि देवेन्द, हरिशंकर, (आकाश, विशाल सरंक्षक माँ माधुरी) सह खातेदारो की नजर में जो भूमि सबसे ज्यादा बेकार है वही भूमिः प्रार्थी या प्रार्थी पक्ष खरीददार को कुरा बंटवारे में दिलवाई जावे जिससे की न्याय हो। आदरणीय तहसीलदार महोदय महावन जिला मथुरा उ0प्र0 वाद संख्या **T202201500502422** सन् 2022 में दाखिला खारिज प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। अगर प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर शीघ्र दाखिला खारिज किया जाता है तो किसी के भी अधिकारो का हनन नही होगा प्रार्थी केवल और केवल वही दाखिला खारिज करवाने की प्रार्थना करता है जो खतौनी रिकॉर्ड में प्रार्थी के हक में दर्ज है। प्रार्थी ने खतौनी रिकॉर्ड के अनुसार ही अपनी जमीन बैनामा द्वारा बेची है। क्योंकि प्रार्थी को शीघ्र अपने मृत पिता का बैंक लोन चुकाने की अत्यधिक आवश्यकता थी इसी कारण प्रार्थी ने अपनी खतौनी रिकॉर्ड अनुसार अपनी कृषि भूमि बेची है, जो 100 प्रतिशत दाखिला खारिज योग्य है।

7. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा जो साईड खोलकर बैनामा द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि बेची गई है वो मात्र और मात्र शीघ्र बैंक लोन चुकाने के कारण जल्दीबाजी में लिपिकीय त्रुटि है। अन्यथा जमीन बिकती नहीं और बैंक लोन जमा नही होता जबकि प्रार्थी एवं प्रार्थी पक्ष भूमि खरीददार बेकार से बेकार जमीन लेने को तैयार है कुरा बंटवारे के द्वारा।

8. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय महावन मथुरा के पत्र क्रमांक 1437/आर.सी./2023 दिनांक 11.10.2023 में साफ-साफ विषय उल्लेखित है जो संज्ञान वास्ते संलग्न है।

अतः आदरणीय महोदय जी न्याय प्रार्थना है कि (1) प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर शीघ्र दाखिला खारिज किया जाये या प्रार्थी पक्ष को कृषि भूमि को जोतने बोने दिया जाये जिससे अपने हिस्से की भूमि/जमीन बंजर होने से बचे। (2) प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर शीघ्र दाखिला खारिज किया जाये अगर प्रार्थी को या प्रार्थी पक्ष को प्रशासन द्वारा जोतने बोने नही दिया जाता है तो देवेन्द्र, हरिशंकर, (आकाश, विशाल सरंक्षक माँ माधुरी) सह खातेदारो को भी जोतने बोने क्यों दिया जा रहा है, हे न्याय के दाता न्याय सबके लिए समान हो। प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर शीघ्र दाखिला खारिज किया जाये। (3) आदरणीय तहसीलदार महोदय महावन जिला मथुरा उ0प्र0 वाद संख्या **T202201500502422** सन् 2022 में दाखिला खारिज प्रार्थना पत्र 100 प्रतिशत स्वीकार योग्य है अगर प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर दाखिला खारिज किया जाता है तो किसी के भी अधिकारो का हनन नही होगा। प्रार्थी केवल और केवल वही दाखिला खारिज करवाने की प्रार्थना करता है। जो खतौनी रिकॉर्ड में प्रार्थी के हक में दर्ज है प्रार्थी ने खतौनी रिकॉर्ड अनुसार ही अपनी जमीन बैनामा द्वारा बेची है। क्योंकि प्रार्थी को शीघ्र अपने मृत पिता का बैंक लोन चुकाने की अत्यधिक आवश्यकता थी इसी कारण प्रार्थी ने अपनी खतौनी रिकॉर्ड अनुसार अपनी कृषि भूमि बेची है, जो 100 प्रतिशत दाखिला खारिज योग्य है।

प्रार्थी मुकेशपाराशर

29/10/23

मुकेश पाराशर स्वर्गीय सुपुत्र श्री राजन लाल
निवासी मकान नं. 83 ग्राम फतेहपुरा थाना
बलदेव तहसील महावन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश

मो.नं.- 9719509622

संलग्नः-

1. अन्य सह खातेदारो द्वारा प्रशासन से मिलीभगत करके फसल उपजाई जा रही है। जबकि प्रार्थी को एवं प्रार्थी पक्ष को अपने हिस्से की भूमि बंजर रखवायी जा रही है। ***GPS Map Camera Lite*** के फोटो से देवेन्द्र, हरिशंकर, माधुरी सह खातेदारो एवं प्रशासन की मिलीभगत प्रमाणित होती है। अलग-अलग फोटो संलग्न है।
2. मृत पिता द्वारा लिया गया बैंक लोन प्रार्थी ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर बैंक लोन चुकती जमा करवा दिया गया था। जिसके लोन जमा दस्तावेज साथ संलग्न है।
3. आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय महावन मथुरा के पत्र क्रमांक 1437/आर. सी./2023 दिनांक 11.10.2023।